राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल विविध स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या-1988/2002

इन

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या- 263/2002

राम सिंह बनाम पृथ्वी सिंह

दिनांक-12.10.2009

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री अनिल कुमार अधिवक्ता मय
श्री गजेन्द्र शर्मा , अधिवक्ता वास्ते
श्री बीरी सिंह, अधिवक्ता- अपीलार्थी की ओर से
सुश्री मुमताज खान, अधिवक्ता वास्ते
श्री आर के माथुर, अधिवक्ता-प्रत्यर्थी की ओर से

--

चूंकि मूल अपील को बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है, उक्त परिस्थितियों में यह स्थगन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रहता है।

फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)

अनिलशर्मा/-